


29-11-17



अधिवक्ता प्राचीन उपस्थित अधिवक्ता शम्भूजी  
द्वारा अधिवक्ता 1, 2, 3 की वली हेतु ली पत्र लिखित  
तलबना पत्र भेजे हेतु अधिवक्ता पत्रावली  
अवलोकन किया गया अधिवक्ता प्राचीन की  
पेशीत अधिवक्ता डिपॉजिट के उपरोक्त भी अधिवक्ता की  
वली हेतु तलबना पत्र नहीं भिजे गये है। इसके  
आतिरेक तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय  
उपजुड अधिकारी सिम्हाण श्रीमती शोभानी कुशवाह  
का स्वागतोत्तरण के युक्त है। ऐसी स्थिति में प्राचीन पत्र  
स्वागतोत्तरण का आगे चलाने जाने का अधिवक्ता नहीं की  
जाए। न्यायालय उपजुड अधिकारी सिम्हाण में विचारणीय  
प्रकरण उचानी घासी बनाम शम्भूजी मुं० 139/2017  
द्वारा तत्कालीन स्वामी निवेद्याजा की पत्रावली के अन्त  
रक्षेत्र न्यायालय में स्वागतोत्तरण भेजे हेतु प्राचीन  
द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्वागतोत्तरण को खारिज किया  
जाए। निवेद्य की शर्त के साथ अधिवक्ता न्यायालय  
को तद्वरीर लिखनी जाये। पत्रावली के पत्र शुभारंभ के  
नम्बर के क्रम के एवं प्रविष्ट लेख नम्बर (घ) निवेद्य  
आज दिनांक 29-11-17 को खुले न्यायालय में पुराना  
जाय।

  
अति० जिला कलक्टर  
दौसा